उत्तराखण्ड वन विभाग

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक– 2281 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/14272/2015

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/144/2016/1594 दिनांक 21–10–2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्न–01)
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.475 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्रमा केपार्स सिविल खसरा नं0 5,7,18,56,340,341,342,343,344,350,352,355,356,3260,3261,3266,3271,3272,3318,3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381,3382,3803,3804,3808,3833 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.475 है0 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 21,83,266.00 (ईक्कीस लाख तिरासी हजार दो सौ छियासठ रूपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिये गये है। (संलग्न–01)
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं रूपांतरित एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा [illegible] प्रदान [illegible] जायेगी। एफ0सी0ए0, 1980 की [illegible] के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग [illegible] वनीकरण हेतु [illegible] [illegible] वन विभाग के पक्ष में [illegible]	(ख) शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा अपने आदेश सं0 292/XI-28(2020-2021) दिनांक 30.04.2022 से ग्राम केपार्स तहसील–बालगंगा, पट्टी–बासर की सिविल सोयम भूमि 6.475 है0 खाता सं0–37 खसरा नं0 5,7,18,56,340,341,342,343,344,350,352,355, [illegible]

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381, 3382,3803,3804,3808,3833 को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित / इन्द्राजी कर दिया है। **(संलग्न–3)** उप सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 196/X-3-23/1(225)/2016 दिनांक 21.03.2023 द्वारा संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। **(संलग्न–4)**
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	**(ग)** शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)**
4.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(क)** शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 27,35,688.00 (सत्ताईस लाख पैंतीस हजार छः सौ अट्ठासी रूपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। **(चालान की प्रति संलग्न)** **(ख)** एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होगी तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 448 tree including 175 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–5 में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्न–7)
6.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या–6 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं अन्य वॉछित धनराशि ऑनलाईन चालान सत्यापन के पश्चात ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकर फंड में जमा कर दी गयी है।
7.	State Govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	वृक्षों के छपान आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्न–8)

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2281 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/14272/2015

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/144/2016/1594 दिनांक 21–10–2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–01)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.475 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्रमा केपार्स सिविल खसरा नं0 5,7,18,56,340,341,342,343,344,350,352,355,356,3260,3261, 3266,3271,3272,3318,3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381, 3382,3803,3804,3808,3833 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन	**(क)** प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.475 है0 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 21,83,266.00 (ईक्कीस लाख तिरासी हजार दो सौ छियासठ रूपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिये गये है। **(संलग्न–01)** **(ख)** शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा अपने आदेश सं0 292/XI-28(2020-2021) दिनांक 30.04. 2022 से ग्राम केपार्स तहसील–बालगंगा, पट्टी–बासर की सिविल सोयम भूमि 6.475 है0 खाता सं0–37 खसरा नं0 5,7, 18,56,340,341,342,343,344,350,352,355, 356,3260,3261,3266,3271,3272,3318,

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381, 3382,3803,3804,3808,3833 को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/इन्द्राजी कर दिया है। **(संलग्न–3)** उप सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 196/X-3-23/1(225)/2016 दिनांक 21.03. 2023 द्वारा संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। **(संलग्न–4)**
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	**(ग)** शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)**
4.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :–** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09. 2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(क)** शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 27,35,688.00 (सत्ताईस लाख पैंतीस हजार छः सौ अट्ठासी रूपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। **(चालान की प्रति संलग्न)** **(ख)** एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होगी तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 448 tree including 175 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–5 में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**
6.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या–6 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं अन्य वॉछित धनराशि ऑनलाईन चालान सत्यापन के पश्चात ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकर फंड में जमा कर दी गयी है।
7.	State Govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	वृक्षों के छपान आदेश की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–8)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
8.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–9)**
10.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किये जायेगें। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–10)**
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
15.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	शर्त संख्या–18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)**
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**
20.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई	शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय / आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**
23.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh. nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी / प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– २२८। **/ 12-1 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली (मुख्यालय–घुमेटीधार) टिहरी गढवाल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संलग्नक - 01

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402 / 2013 के अन्तर्गत कर्णगॉव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या–FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि की विधिक स्थित में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय–घुमेटीधार)

संलग्नक-02

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-01-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6114272684
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/144/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHANDTehri Garhwal
Amount(in Rs)	4918954/-

Amount in Words :Forty-Nine Lakh Eighteen Thousand Nine Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896114272684 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 23-01-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6114272684
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/144/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHAND Tehri Garhwal
Amount(in Rs)	4918954/-

Amount in Words :Forty-Nine Lakh Eighteen Thousand Nine Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896114272684 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

D. Nautiyal
Executive Engineer
Tv. Divn., P.W.D
Ghansali

STATE BANK OF INDIA
04 FEB 2021

D. Nautiyal
Executive Engineer
Tv. Divn., P.W.D
Ghansali

SBIN 321035094886

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 196 /X-3-23/1(225)/2016
देहरादूनः दिनांकः 21 मार्च, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला **टिहरी गढ़वाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है0** आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के **6.475 है0** क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	टिहरी गढ़वाल	केपार्स	बासर	37	05	0.1092	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0
					07	0.209	
					18	0.204	
					06	0.912	
					340	0.126	
					341	0.376	
					342	0.128	
					343	0.124	
					344	0.191	
					350	0.063	
					352	0.139	
					355	0.211	
					356	0.314	
					3260	0.011	
					3261	0.257	
					3266	0.023	
					3271	0.186	
					3272	0.056	
					3318	0.313	
					3319	.01	
					3320	0.076	
					3321	0.103	
					3324	0.215	

सं0अ0/प्रभारी टिहरी
आ0 का0 कै0
प्र0अ0प्र0व0नि0/मौ0
25-3-23

					3326	0.063	
					3330	0.124	
					3381	0.257	
					3382	0.125	
					3803	0.460	
					3804	0.296	
					3808	0.775	
					3833	0.0188	
					योगः–	6.4750	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 21-03-2023 11:12:11

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्याः– 196 /X-3-23/1(225)/2016,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
7. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
8. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 21-03-2023 13:46:03

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification............/.............. Dehradun, dated...................... for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section- 03
File No. 196 /X-3-23/1(225)/2016
Dehradun Date- 21 March, 2023

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 6.475 hectare, as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Tehri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 3.2375 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of **Karnagaon to Rajrajeswari mandir Motor Road in Bhilangna Block of** District Tehri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Village	Patti	Khata Number	Khasara Number	Total area (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tehri Garhwal	Kepars	Basar	37	05	0.1092	Uttarakhand Government Category-9(3)d
					07	0.209	
					18	0.204	
					06	0.912	
					340	0.126	
					341	0.376	
					342	0.128	
					343	0.124	
					344	0.191	
					350	0.063	
					352	0.139	
					355	0.211	
					356	0.314	
					3260	0.011	
					3261	0.257	
					3266	0.023	
					3271	0.186	
					3272	0.056	
					3318	0.313	
					3319	0.01	
					3320	0.076	
					3321	0.103	
					3324	0.215	
					3326	0.063	

					3330	0.124	
					3381	0.257	
					3382	0.125	
					3803	0.460	
					3804	0.296	
					3808	0.775	
					3833	0.0188	
					Total :-	**6.4750**	

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 21-03-2023 11:11:40

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary.

Copy:- Sent to the following for information and action.

1. Inspector General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor Bagh Road, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
4. Additional Chief Conservator of Forests, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
5. Commissioner, Garhwal Zone, Uttarakhand.
6. Chief Conservator of Forest, Garhwal, Uttarakhand, Pauri.
7. Conservator of Forest, Bhagirathi Circle, Uttarakhand, Munikireti.
8. District Magistrate, Tehri Garhwal.
9. Divisional Forest Officer, Tehri Forest Division, New Tehri.
10. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section- (B) part-4 of the general Gazette.
11. N.I.C. Secretariate Campus.
12. Guard File.

By Ordes

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 21-03-2023 13:45:47

(Satya Prakash Singh)
Deputy Secretary.

संलग्नक-04

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन पस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/14272/2015) परियोजना में प्रस्तावित दुगनी 6.4750 है0 ग्राम–केपार्स, पट्टी–बासर, खाता सं0–37 सिविल भूमि खसरा नं0–05, 07, 18, 06, 340, 341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260, 3261, 3266, 3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321, 3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833 इस वन प्रभाग की बालगंगा राजि के अन्तर्गत पडती है, इस क्षेत्र में किसी भी अन्य योजना के तहत वनीकरण नही किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संलग्नक-05

प्रारुप–2.38

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई–5.00 कि०मी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह०/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अ०... लो०नि०वि०,
घनसाली टिहरी गढ़

संलग्नक-06

प्रारुप–2.18

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई–5.00 कि0मी0)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा रेंज
घनसियाली

प्रभागीय वनाधिकारी

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
घनसाली टिहरी गढ़वाल

संलग्नक - 07

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
फोन / फैक्स : 01376–232077, ई:मेल : dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 3143 / 12-1 नई टिहरी, दिनांक– 8/06/ 2022

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
बालगंगा राजि।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना मे कर्णगांव से राजराजेश्वरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/14272/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 144 / 2016 / 1594, दिनांकः–21–10–2020।

उपरोक्त सन्दर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांकः–21–10–2020 से विषयगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को कतिपय शर्तों के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के क्रम में प्रश्नगत परियोजना निर्माण के समरेखण से प्रभावित आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का प्रस्तावक विभाग के साथ छपान कर छपान सूची शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिनकी संख्या 448 trees including 175 saplings से अधिक न हो।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : 3143 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेंटीधार, टिहरी गढवाल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को उपरोक्तानुसार वृक्षों के छपान में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि शासनादेशों के अनुपालन में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही कार्यानुमति प्रदान की जायेगी।

O/C

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

D/PK/WORD/Chapan & tree katan anumati

संलग्नक - 08

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगॉव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या–FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय–घुमेटीधार)

संलग्नक - 01

प्रमाण पत्र

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगॉव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या–FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय–घुमेटीधार)

संलग्नक –10

प्रारुप–2.35

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढवाल के भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई–5.00 कि0मी0)

परियोजनामें कार्यरत श्रमिको को मिटटी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य मे कार्यरतश्रमिको/कमचारियो को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिटटी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
[illegible] लो0नि0वि0,
[illegible] टिहरी गढ़वाल

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

संलग्नक -11

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :— जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगॉव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या–FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय–घुमेटीधार)

संलग्नक -12

प्रारुप–2.23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई–5.00 कि0मी0)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा रा‍जि
चमियाला

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
[illegible]
घनसाली [illegible]

संलग्नक - 13

Name Of work:-Proposal Of Muck Disposal in Construction of Karna Gawn To Rajajeswari Motor Road

मक डम्पिंग प्लान / प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग (5.00 कि0मी0) के नव निर्माण से उत्पादित मलवे का उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्त्रोतों में नहीं डाला जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता अ0खा0 लो0नि0वि0, घनसाली	सहायक अभियन्ता अ0खा0 लो0नि0वि0, घनसाली	अधिशासी अभियन्ता अ0खा0 लो0नि0वि0, घनसाली

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
अ0खा0 लो0नि0वि0,
घनसाली टिहरी गढ़वाल

संलग्नक -14

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :— जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—402/2013 के अन्तर्गत कर्णगॉव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या—FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रकार प्रस्ताव लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेनी सुनिश्चित की जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय—घुमेटीधार)

::आदेश::

भारत सरकार, पर्यावरण एत जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के पत्र सं0 08वी / यू0सी0पी0 / 05 / 144 / 2016 / 1594 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में कर्णगाव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई है। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.475हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम केपार्स के खसरा सं0 5,7,18,56,340,341,342,343,344,350,352,355,356,3260,3261,3266,3271,3272,3318,3319,3320, 3371,3324,3326,3330,3381,3382,3803,3804,3808,3833 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 242 / आर0ए0 / भूमि हस्ता0 दिनांक 03.03.2022 में उल्लेख किया है के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है जिसमें उल्लेख किया गया हैं कि प्रस्तावित भूमि शब्द कोष के अनुसार वन नही हैं, सरकार अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नही हैं। उक्त भूमि तहसील बालगंगा के ग्राम केपार्स के नॉन जेड ए की खाता खतौनी सं0 37 में दर्ज खसरा सं0 5,7,18,06,340,341,342,343,344,350,352,355,356,3260,3261,3266,3271,3272,3318,3319,3320, 3371,3324,3326,3330,3381,3382,3803,3804,3808,3833 कुल रकबा 6.4750 में श्रेणी 9-(3)ड बंजर दर्ज हैं। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रकबा (हे0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
केपार्स	बासर	37	05	0.1092	
			07	0.209	
			18	0.204	
			06	0.912	
			340	0.126	
			341	0.376	
			342	0.128	
			343	0.124	
			344	0.191	
			350	0.063	
			352	0.139	
			355	0.211	उत्तराखण्ड सरकार
			356	0.314	वर्ग 9(3)ड
			3260	0.011	
			3261	0.257	
			3266	0.023	
			3271	0.186	
			3272	0.056	
			3318	0.313	
			3319	0.01	
			3320	0.076	
			3321	0.103	
			3324	0.215	
			3326	0.063	
			3330	0.124	
			3381	0.257	
			3382	0.125	
			3803	0.460	
			3804	0.296	
			3808	0.775	
			3833	0.0188	
			योग--	6.4750हे0	

कमशः-2

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
अ0खं0 लो0नि0वि0,
[illegible] टिहरी गढ़वाल

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा 6.4750 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली/बालगंगा तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 292 /XI-28(2020–21)दिनांक,नई टिहरी, अप्रैल,30 ,2022.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 घनसाली।
7– उप जिलाधिकारी घनसाली।
8– तहसीलदार घनसाली/बालगंगा को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
अ0खं0 लो0नि0वि0,
घनसाली टिहरी गढ़वाल

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मंदिर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

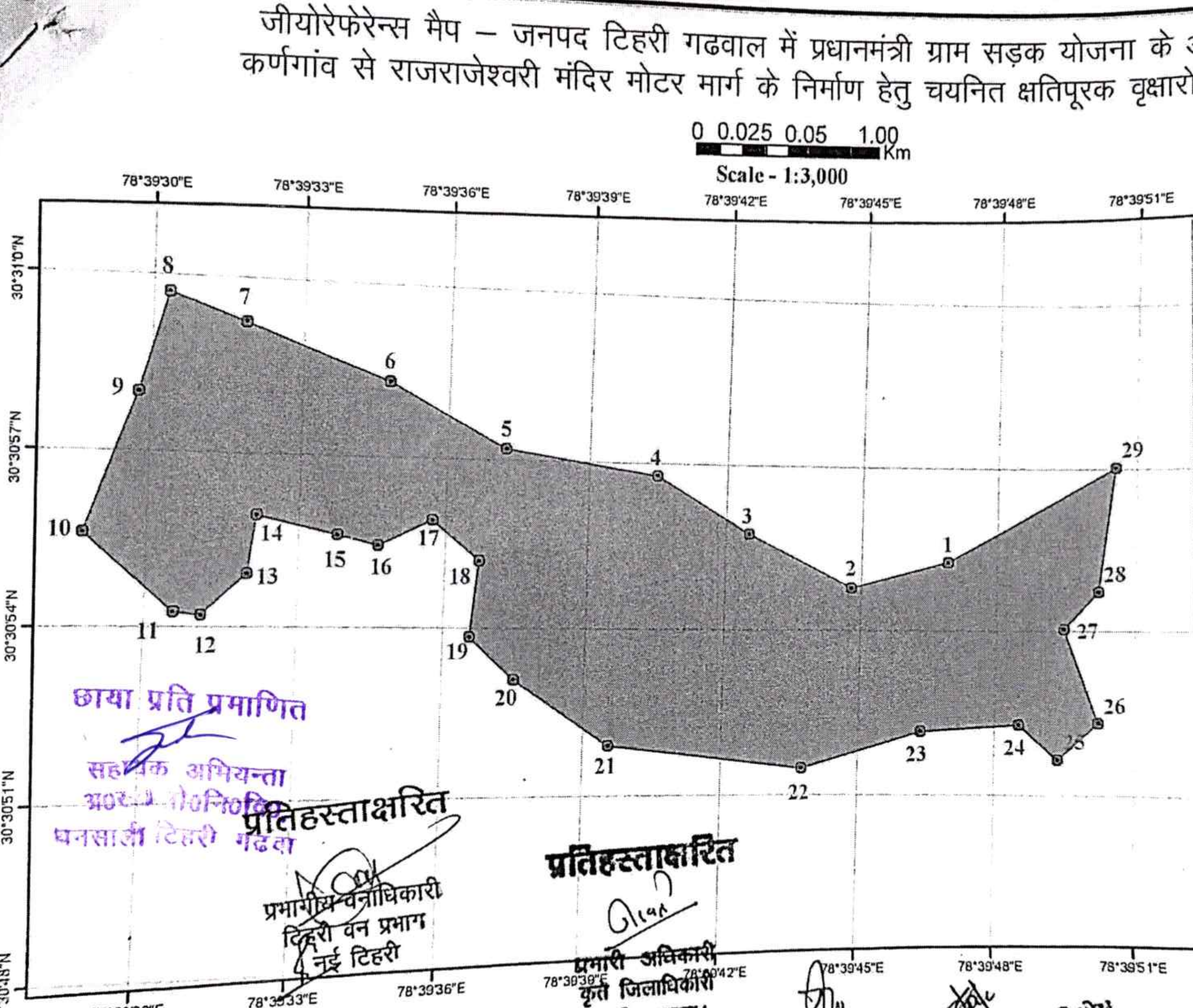

ID	Longitude	Latitude
1	78°39' 46.923" E	30°30' 55.256" N
2	78°39' 44.786" E	30°30' 54.781" N
3	78°39' 42.506" E	30°30' 55.757" N
4	78°39' 40.458" E	30°30' 56.779" N
5	78°39' 37.213" E	30°30' 57.198" N
6	78°39' 34.779" E	30°30' 58.318" N
7	78°39' 31.853" E	30°30' 59.239" N
8	78°39' 30.306" E	30°30' 59.702" N
9	78°39' 29.755" E	30°30' 58.019" N
10	78°39' 28.775" E	30°30' 55.605" N
11	78°39' 30.565" E	30°30' 54.252" N
12	78°39' 31.106" E	30°30' 54.192" N
13	78°39' 31.981" E	30°30' 54.911" N
14	78°39' 32.149" E	30°30' 55.937" N
15	78°39' 33.782" E	30°30' 55.618" N
16	78°39' 34.612" E	30°30' 55.429" N
17	78°39' 35.718" E	30°30' 55.916" N
18	78°39' 36.709" E	30°30' 55.195" N
19	78°39' 36.544" E	30°30' 53.839" N
20	78°39' 37.505" E	30°30' 53.078" N
21	78°39' 39.565" E	30°30' 51.903" N
22	78°39' 43.774" E	30°30' 51.485" N
23	78°39' 46.381" E	30°30' 52.157" N
24	78°39' 48.517" E	30°30' 52.282" N
25	78°39' 49.377" E	30°30' 51.647" N
26	78°39' 50.236" E	30°30' 52.310" N
27	78°39' 49.479" E	30°30' 54.033" N
28	78°39' 50.213" E	30°30' 54.718" N
29	78°39' 50.552" E	30°30' 57.024" N

Legend

- Ca Point
- CA Land

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
घनसाली टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

उप जिलाधिकारी
घनसाली

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-कफोलगाव
तहसील घनसाली, टिहरी

तहसीलदार
बालगंगा
टिहरी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
बाल गंगा रेंज
घनसाली

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

डिजिटल मैप – जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अ...
कर्णगांव से राजराजेश्वरी मंदिर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण...

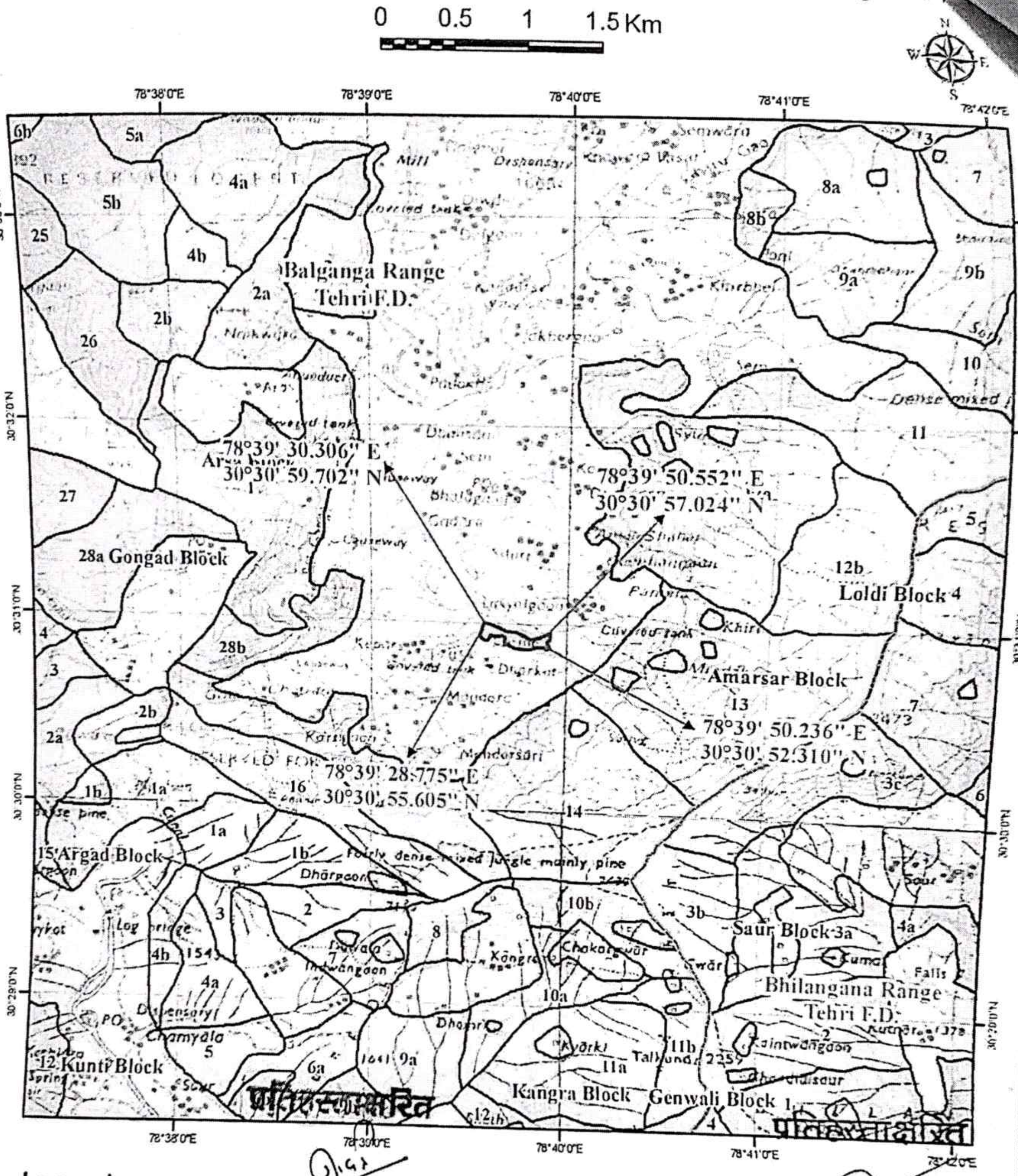

Legend

Proposed Plantation

Forest Reserve Boundary

Forest Reserve Boundary

Forest Range Boundary

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी

JE

अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
घनसाली (टि० ग०)

टिहरी गढ़वाल

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

संलग्नक -03

अमल दरामद भूमि कब्जे मे लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगॉव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 है0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के आदेश सं0–**292/XI-28/2020-21** दिनांक, नई टिहरी अप्रैल 30.2022 से जारी निर्देश के कम मे अमल दरामद 6.4750 है0 चिन्हित सिविल भूमि ग्राम–केपार्स तहसील–बालगंगा, पट्टी–बासर, जो खाता संख्या–37 खसरा –05, 07, 18, 06, 340, 341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260, 3261, 3266, 3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321, 3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833 कुल रकवा 6.475 हे0 में है। राजि0 अधिकारी बालगंगा द्वारा अपने कब्जे में लें ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र–अमरसर
तहसील बालगंगा (टि0 ग0)

वन बीट अधिकारी
(रामशरण अधिकारी)
व.प.

वन दरोगा
(हरीश नौटियाल)
उपराजि.

राजि0 अधिकारी
बालगंगा

जिला स्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जॉच रिपोर्ट तहसील–बालगंगा, जिला–टिहरी गढवाल।

जिलास्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जॉच रिपोर्ट तहसील–बालगंगा विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगॉव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थापना हेतु तहसील–बालगंगा, पट्टी–बासर, ग्राम–केपार्स के ज0वि0र0 खाता खतोनी सं0– **37** में दर्ज खसरा नं0– **05, 07,18, 06, 340, 341, 342,343,344,350,352,355,356,3260,3261,3266,3271,3272,3318,3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381,3382,3803,3804,3808,3833 कुल रकवा 6.5908** में से कुल क्षेत्रफल **6.4750** हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि (श्रेणी 9(3) क एवं ख को छोड़कर) श्रेणी 9–(3)ड, में दर्ज अभिलेख है, को क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की याचना की गई है।

प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को अधिसूचना सं0–866/X–3–2011/8(21)/2010,दिनांक– 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या–883/X–3–2011/8(21)/2010, दिनांक 04.10.2011 तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–2882/xviii(11)ii–18(120)/3–2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु वन विभाग जिला–टिहरी गढवाल को आवंटित किये जाने हेतु तहसील स्तरीय समिति द्वारा आज दिनांक 22–02–2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्दकोष के अनुसार वन नहीं है, सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नहीं एवं मौके पर वन स्वरूप नहीं है। यह भूमि उत्तराखण्ड के जिला–टिहरी गढवाल की तहसील–बालगंगा, पट्टी–बासर, ग्राम–केपार्स के नॉन जेड ए की खाता खतौनी सं0.– **37** दर्ज खसरा नं0– **05,07,18, 06, 340,341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260,3261, 3266,3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321,3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833** कुल रकवा **6.5908** मे श्रेणी 9–(3)ड बंजर दर्ज है। शासनादेश संख्या–2882/xviii(11)ii–18(120)/3–2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के अनुसार इस भूमि पर वन अधिनियम लागू नही है। प्रस्तावित परियोजना/भवन का निर्माण जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः तहसील बालगंगा की तहसील स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति ग्राम–केपार्स की खाता खतौनी सं0– **37** में ज0वि0र0 के रेणी 9–(3)ड में दर्ज खसरा नं0 **05,07,18, 06, 340,341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260,3261, 3266,3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321,3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833** कुल रक्वा **6.4750** हे0, भूमि को वन विभाग, जिला–टिहरी गढवाल को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण किये जाने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जॉच समिति को संस्तुति सहित प्रस्तावित करती है।

प्रस्तावित विभाग सदस्य	तहसीलदार सदस्य तहसीलदार बालगंगा टिहरी गढ़वाल	वन विभाग सदस्य	उपजिलाधिकारी अध्यक्ष

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

मौजा- केपार्स पट्टी बासर तहसील बालगंगा टिहरी गढ़वाल
उ० खि० २० खतौनी फसली वर्ष - 1420-1426

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
37	उत्तराखण्ड सरकार बनाम		2	0.030							95	0.194			
	(डं०) बंजर		3	0.020						-	97	0.011			
			4	0.023							99	0.736			
			5	0.225							101	0.251			
			6	0.912							103	0.026			
			7	0.209							104	0.020			
			14	0.031							117	0.030			
			16	0.058							120	0.021			
			17	0.100							125	0.031			
			18	0.204							130	0.004			
			19	0.014							167	0.009			
			20	0.084							201	0.009			
			32	0.008							202	0.015			
			58	0.010							204	0.059			
			60	0.006							216	0.254			
			66	0.014							238	0.006			
			67	0.008							240	0.013			
			68	0.005							243	0.008			
			74	0.009							261	0.009			
			88	0.039							267	0.008			
			92	0.013							290	0.004			
			93	0.098							312	0.010			

असल से मिलान किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-ककोलगाव
तहसील बालगंगा (टि० ग०)

क्रमशः।

			317	0.015						400	0.010		
			319	0.006						401	0.695		
			335	0.064						402	0.016		
			336	0.051						403	0.104		
			338	0.036						418	0.006		
			340	0.426						419	0.008		
			341	0.376						420	0.010		
			342	0.128						421	0.005		
			343	0.124						422	0.003		
			344	0.191						423	0.010		
			345	0.048						424	0.009		
			346	0.540						454	0.009		
			350	0.063						474	0.041		
			352	0.130						475	0.015		
			353	0.091						476	0.126		
			354	0.549						480	0.044		
			355	0.211						481	0.015		
			356	0.314						483	0.033		
			358	0.050						485	0.003		
			365	0.079						486	0.014		
			391	0.005						488	0.011		
			395	0.005						492	0.108		
			399	0.036						494	0.026		

			501	0.011							553	0.081			
			502	0.015							564	0.096			
			503	0.013							571	0.015			
			504	0.018							572	0.016			
			505	0.031							573	0.008			
			506	0.377							577	0.005			
			507	0.040							637	0.011			
			508	1.114							677	0.016			
			509	1.234							658	0.009			
			510	1.174							686	0.013			
			511	1.185							694	0.013			
			512	0.176							697	0.013			
			514	0.504							698	1.136			
			515	1.007							705	0.033			
			516	0.499							711	0.004			
			517	0.191							730	0.040			
			518	0.312							735	0.021			
			519	0.064							753	0.021			
			520	0.189							756	0.009			
			521	0.046							779	0.055			
			522	0.376							889	0.005			
			523	0.252							817	0.018			
			546	0.013							824	0.024			

सुजीत उप निदेशक [illegible] आर्यन् [illegible]

[illegible]

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			826	0.003							1066	0.006			
			843	0.003							1069	0.020			
			844	0.021							1078	0.011			
			854	0.018							1088	0.010			
			869	0.040							1096	0.317			
			874	0.006							1153	0.035			
			880	0.011							1154	0.018			
			884	0.006							1155	0.029			
			887	0.029							1156	0.016			
			950	0.019							1154	0.217			
			966	0.030							1160	0.257			
			968	0.066							1165	0.257			
			972	0.030							1166	0.044			
			975	0.145							1167	0.071			
			979	0.003							1168	0.098			
			984	0.021							1169	0.055			
			1003	0.170							1171	0.252			
			1019	0.008							1172	0.023			
			1022	0.011							1173	0.434			
			1029	0.009							1174	0.189			
			1045	0.013							1175	0.016			
			1055	0.004							1176	0.095			

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			1178	0.015							1288	0.004			
			1179	0.005							1319	0.043			
			1187	0.391							1323	0.040			
			1188	0.050							1326	0.098			
			1197	0.003							1327	0.187			
			1220	0.312							1330	0.008			
			1221	0.124							1332	0.023			
			1222	0.252							1361	0.078			
			1229	0.003							1364	0.043			
			1239	0.004							1400	0.003			
			1248	0.014							1413	0.043			
			1250	0.003							1419	0.016			
			1252	0.037							1429	0.063			
			1258	0.094							1456	0.038			
			1262	0.050							1436	0.010			
			1266	0.024							1443	0.011			
			1267	0.010							1444	0.014			
			1269	0.005							1445	0.033			
			1271	0.004							1450	0.011			
			1273	0.011							1451	0.314			
			1277	0.004							1459	0.021			
			1284	0.068							1461	0.078			

सहायक उप निदेशक अभिलेख

			1464	0.008							1602	0.153			
			1465	0.036							1603	0.043			
			1475	0.011							1604	0.038			
			1487	0.014							1603	0.028			
			1488	0.074							1606	0.0050			
			1489	0.176							1673	0.048			
			1490	0.141							1679	0.028			
			1507	0.008							1691	0.046			
			1509	0.015							1699	0.008			
			1510	0.023							1733	0.031			
			1541	0.018							1737	0.013			
			1542	0.058							1740	0.019			
			1544	0.048							1743	0.016			
			1545	0.005							1755	0.057			
			1546	0.038							1756	0.060			
			1547	0.005							1757	0.030			
			1566	0.090							1758	0.024			
			1570	0.110							1772	0.004			
			1573	0.038							1778	0.004			
			1575	0.124							1786	0.034			
			1579	0.024							1792	0.006			
			1586	0.028							1812	0.003			
			1588	0.005							1821	0.009			

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			1822	0.009							2071	0.035			
			1863	0.004							2072	0.036			
			1882	0.029							2073	0.035			
			1885	0.003							2075	0.310			
			1951	0.005							2076	0.050			
			1964	0.013							2077	0.246			
			2018	0.005							2078	0.186			
			2022	0.011							2079	0.099			
			2025	0.018							2080	0.120			
			2026	0.078							2081	0.150			
			2027	0.083							2082	0.090			
			2028	0.045							2178	0.033			
			2029	0.055							2209	0.026			
			2030	0.078							2277	0.013			
			2032	0.048							2283	0.041			
			2046	0.030							2288	0.008			
			2047	0.031							2294	0.008			
			2048	0.026							2299	0.110			
			2051	0.048							2320	0.068			
			2052	0.116							2323	0.031			
			2053	0.009							2328	0.009			
			2070	0.033							2330	0.028			

			2336	0.003						3195	0.004			
			2353	0.006						3237	0.058			
			2358	0.006						3240	0.015			
			2362	0.006						3247	0.025			
			2373	0.011						3248	0.013			
			2396	0.024						3260	0.011			
			2452	0.003						3261	0.257			
			2539	0.070						3263	0.241			
			2605	0.004						3265	0.038			
			2611	0.004						3266	0.023			
			2697	0.009						3268	0.098			
			2738	0.003						3270	0.312			
			2761	0.001						3271	0.186			
			2791	0.008						3272	0.056			
			2810	0.008						3296	0.021			
			2835	0.004						3297	0.045			
			2896	0.023						3298	0.016			
			2900	0.001						3301	0.058			
			3091	0.010						3310	0.013			
			3134	0.010						3311	0.053			
			3158	0.015						3312	0.004			
			3165	0.008						3313	0.004			
			3188	0.009						3314	0.148			

केशव१।

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			3315	0.110							3386	0.040			
			3316	0.091							3387	0.081			
			3317	0.023							3389	0.090			
			3318	0.313							3390	0.011			
			3319	0.090							3391	0.035			5
			3320	0.076							3392	0.248			
			3321	0.103							3393	0.045			
			3324	0.215							3394	0.043			
			3326	0.063							3395	0.070			
			3327	0.038							3396	0.004			10
			3330	0.124							3397	0.020			
			3331	0.421							3398	0.011			
			3332	0.115							3407	0.009			
			3333	0.035							3408	0.004			
			3324	0.028							3409	0.013			15
			3326	0.024							3410	0.004			
			3361	0.138							3411	0.008			
			3362	0.045							3417	0.008			
			3379	0.035							3421	0.033			
			3380	0.093							3422	0.024			20
			3381	0.257							3433	0.081			
			3382	0.125							3442	0.033			

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र–कफोलगाव
[illegible] (टि0 ग0)

क्रमशः

		3635	0.168
3444	0.005	3627	0.031
3463	0.036	3628	0.168
3465	0.006	3636	0.070
3468	0.013	3637	0.018
3489	0.086	3641	0.008
3473	0.004	3664	0.004
3476	0.009	3667	0.009
3500	0.011	3668	0.011
3583	0.008	3674	0.006
3600	0.008	3685	0.023
3601	0.169	3689	0.185
3602	0.366	3695	0.028
3603	0.187	3701	0.008
3604	0.018	3709	0.006
3606	0.0140	3733	0.041
3607	0.310	3746	0.006
3608	0.141	3772	0.010
3609	0.252	3789	0.008
3610	0.031	3792	0.016
3611	0.056	3802	0.020
3617	0.031	3803	0.460
3625	0.168	3804	0.296
3626	0.068		

क्रमशः

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			3805	0.070							3995	0.218			
			3806	0.049							4013	0.219			
			3808	0.773							4014	0.041			
			3810	0.760							4024	0.058			
			3811	0.043							4025	0.048			
			3813	0.046							4026	0.041			
			3815	0.074							4027	0.073			
			3817	0.024							4028	0.046			
			3819	0.006							4029	0.050			
			3820	0.008							4030	0.058			
			3823	0.108							4031	0.053			
			3824	0.083							4032	0.123			
			3825	0.053							4034	0.050			
			3826	0.089							4035	0.119			
			3827	0.044							4038	0.119			
			3830	0.204							4039	0.155			
			3831	0.045							4040	0.240			
			3833	0.249							4041	0.413			
			3834	0.191							4042	0.070			
			3836	0.273							4043	0.058			
			3837	0.008							4044	0.060			
			3982	0.018							4056	0.090			

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र–कफोलगाव

			4060	0.013							4153	0.020			
			4061	0.038							4173	0.033			
			4070	0.015							4202	0.086			
			4075	0.103							4203	0.044			
			4076	0.013							4204	0.103			
			4078	0.034							4227	0.370			
			4081	0.450							4232	0.045			
			4082	0.373							4234	0.038			
			4091	0.110							4248	0.014			
			4104	0.063							4274	0.035			
			4106	0.024							4285	0.006			
			4110	0.018							4313	0.043			
			4111	0.038							4316	0.015			
			4112	0.090							4338	0.013			
			4138	0.118							4802	0.010			
			4145	0.023							4804	0.013			
			4146	0.045							4806	0.013			
			4147	0.091							4812	0.013			
			4148	0.043							4823	0.056			
			4149	0.091							4840	0.009			
			4150	0.038							4824	0.013			
			4151	0.063							4827	0.148			
			4152	0.048							4826	0.053			

कम्प्रा/·

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			4838	01093							4600	01018			
			4860	01044							4616	01023			
			4862	0.135							4632	01011			
			4865	01086							4668	01025			
			4864	01025							4671	01006			
			4866	0.375							4683	01006			
			4872	0.119							4716	01009			
			4873	0273							4741	01005			
			4887	01011							4758	0005			
			4887	01011							4781	01053			
			4893	01008							4783	01026			
			4895	01035							4795	01035			
			4535	01010							4897	01030			
			4538	01010							4896	01015			
			4546	01050							4907	01065			
			4547	0.331							4917	01045			
			4561	01075							4931	01084			
			4563	01058							4933	01046			
			4568	01008							4948	01023			
			4577	0.110							4956	01015			
			4588	01023							4964	01030			
			4590	01003							5080	01083			

क्रमशः।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र–कफोलगाव
तहसील वालगंगा (टि0 ग0)

			5083	0.086							5188	0.018			
			5086	0.031							5196	0.131			
			5087	0.086							5207	0.044			25
			5088	0.257							5208	0.093			
			5101	0.149							5209	0.105			
			5102	0.301							5210	0.058			
			5103	0.391							5215	0.013			
			5104	0.191							5217	0.010			30
			5105	0.320							5218	0.003			
			5106	0.374							5220	0.028			
			5107	0.023							5222	0.011			
			5109	0.038							5223	0.010			
			5108	0.204							5236	0.063			35
			5110	0.303							5238	0.028			
			5111	0.375							5239	0.023			
			5113	0.068							5240	0.023			
			5123	0.011							5241	0.025			
			5128	0.110							5272	1.426			40
			5130	0.059							5244	0.688			
			5163	0.026							5268	0.003			
			5165	1.058							5280	0.024			
			5167	0.313							5294	0.011			
			5187	0.048							5295	0.008			45

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			5296	01046											
			5297	01050											
			5298	01058											
			5299	01051											
			5300	01010											
			5301	0010											
			5302	01011											
			5303	01006											
			5304	01013											
			5305	0.331											
			5306	0.363											
			5307	01073											
			5308	0.123											
			5311	0.203											
			5313	0.248											
			5315	01070											
			5319	01030											
			5320	0.103											
		योग-	697	66.106											

असल से तैयार किया गया

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र–ककोरगाव
तहसील दातागंज